

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 30-10-2021

अपहरण कर दुष्कर्म के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बंध में चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी कोतवाली के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजघाट द्वारा गठित टीम द्वारा पीड़िता/अपहता को लेकर भागने वाला अभियुक्त गोलू उर्फ इमरान पुत्र स्व. इरफान उर्फ नेपाली निवासी अमरूद मण्डी चकरा अब्बल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को मुखबिर कि सूचना पर समय करीब 12.25 बजे नार्मल टैक्सी स्टैण्ड के पास गिरफ्तार कर किया गया। जिसके सम्बंध में पूर्व में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-273/2021 धारा 363,366 भादवि पंजीकृत है। मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 30.10.2021 को धारा 376,323 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

गोलू उर्फ इमरान पुत्र स्व. इरफान उर्फ नेपाली निवासी अमरूद मण्डी चकरा अब्बल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान--

दिनांक 30.10.2021 समय 12.25 बजे, गिरफ्तारी का स्थान – नार्मल टैक्सी स्टैण्ड थाना राजघाट

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तारी टीम में सम्मिलित पुलिस अधि0/कर्मचारी-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री रणधीर कुमार मिश्रा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 2-उ0नि0 शम्भू प्रसाद साहनी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 3-का0 जितेन्द्र यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।